

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 436]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2016—कार्तिक 4, शक 1938

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2016

क्र. 84(9)-नि.निर्वा.-चार-2016-उपचुनाव, 260.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती हैं.

1. No. 100-ECI-LET-TERR-WES-I-MP-HP-1-2016 (Bye), दिनांक 26 अक्टूबर 2016
2. No. 100-ECI-LET-TERR-WES-I-MP-LA-3-2016 (Bye), दिनांक 26 अक्टूबर 2016

(एस.) एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख—26 अक्टूबर, 2016— 04 कार्तिक, 1938 (शक)

अधिसूचना

No. 100/ECI/LET/TERR/WES 1 – MP-HP/1/2016 (Bye) :- यतः लोक सभा

में मध्य प्रदेश राज्य के 12 – शहडोल (अ.ज.जा.) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित, श्री दलपत सिंह परस्ते का स्थान, उनके निधन के परिणामस्वरूप दिनांक 01 जून, 2016 को रिक्त हो गया है;

और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149, 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 12 - शहडोल (अ.ज.जा.) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाये गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 24 नवम्बर, 2016 (गुरुवार) से पूर्व राज्य से लोक सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य की अथवा किसी भी अन्य राज्य की अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

- | | | |
|-----|---|-------------------------------|
| (क) | नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: | 02 नवम्बर, 2016 (बुधवार) |
| (ख) | नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: | 03 नवम्बर, 2016 (गुरुवार) |
| (ग) | अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: | 05 नवम्बर, 2016 (शनिवार) |
| (घ) | वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: | 19 नवम्बर, 2016 (शनिवार) |
| (ङ) | वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: | 24 नवम्बर, 2016 (गुरुवार); और |

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है

जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(अनुज जयपुरियार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvaahan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 26th October, 2016—04 Kartika, 1938 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/ECI/LET/TERR/WES 1 – MP-HP/1/2016 (Bye) :- WHEREAS, the seat of **Shri Dalpat Singh Paraste** in the House of People, elected from **12 – Shahdol (ST) Parliamentary Constituency** in the State of Madhya Pradesh has become vacant on **01st June, 2016** by reason of his death: and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of Sections 149, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby –

(A) Calls upon the said **12 – Shahdol (S.T.) Parliamentary Constituency** in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the **24th November, 2016 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the Scheduled Tribes whether of that State or of any other State, for the purpose of filling the said vacancy in the House of People;

(B) Appoints, with respect to the said election-

- (a)** the **02nd November, 2016 (Wednesday)** as the last date for making nominations;
- (b)** the **03rd November, 2016 (Thursday)** as the date for the scrutiny of nominations;
- (c)** the **05th November, 2016 (Saturday)** as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d)** the **19th November, 2016 (Saturday)** as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
- (e)** the **24th November, 2016 (Thursday)** as the date before which the election shall be completed; and

(C) Fixes the hours from **7.00 A.M. to 5.00 P.M.**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd/-
(ARJUN JAIPURIAR)
Secretary,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख—26 अक्टूबर, 2016— 04 कार्तिक, 1938 (शक)

अधिसूचना

No. 100/ECI/LET/TERR/WES-1 – MP-LA/3/2016 (Bye)—यतः मध्य प्रदेश

राज्य की विधान सभा में 179 – नेपानगर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री राजेन्द्र श्याम लाल दादू (राजु भैया)के निधन के परिणामस्वरूप उनका स्थान दिनांक 09 जून, 2016 को रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150, 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 179 – नेपानगर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 24 नवम्बर, 2016 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से राज्य की किसी भी अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

- | | |
|---|---------------------------|
| (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: | 02 नवम्बर, 2016 (बुधवार) |
| (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: | 03 नवम्बर, 2016 (गुरुवार) |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: | 05 नवम्बर, 2016 (शनिवार) |

- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: 19 नवम्बर, 2016 (शनिवार)
- (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: 24 नवम्बर, 2016 (गुरुवार); और
- (इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(अनुज जयपुरियार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvaahan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 26th October, 2016—04 Kartika, 1938 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/ECI/LET/TERR/WES-1-MP-LA/3/2016 (Bye) :- WHEREAS, the seat of Shri Rajendra Shyamlal Dadu (Raju Bhaiyya) in the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh, elected from 179 – Neapanagar (S.T.) Assembly Constituency in the State, has become vacant on 09th June, 2016, by reason of his death; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of section 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **calls upon** the said 179 – Neapanagar (S.T.) Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 24th November, 2016 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to

any of the Scheduled Tribes of the State, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) appoints, with respect to the said election-

- (a) the 02nd November, 2016 (Wednesday) as the last date for making nominations;
 - (b) the 03rd November, 2016 (Thursday) as the date for the scrutiny of nominations;
 - (c) the 05th November, 2016 (Saturday) as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 19th November, 2016 (Saturday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
 - (e) the 24th November, 2016 (Thursday) as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 7.00 A.M. to 5.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.**

By order,
Sd/-
(ARJUN JAIPURIAR)
Secretary,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.